भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 889
दिनांक 08.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम में भौतिक सत्यापन और कागजी कार्रवाई को समाप्त करने के कदम

889 # श्री रामजी लाल सुमनः

क्या ***जल शक्ति*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन-हर घर जल योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी पीछे है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;
(ग) कितनी बस्तीयों को स्वच्छ जल नल से मिल रहा है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन और कागजी कार्रवाई में असंगतियों को दूर करने के लिए कितनी कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त, 2019 से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश भर हेतु प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 02.12.2025 तक जेजेएम के अंतर्गत लगभग 12.51 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 02.12.2025 तक, 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.75 करोड़ (81.37%) से अधिक परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इस प्रकार, सवालों/शिकायतों आदि, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* जेजेएम के तहत खराब नलों और अपर्याप्त जल आपूर्ति संबंधी समस्याओं पर कार्रवाई और उनका निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है। जब कभी इस विभाग में ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, नागरिक भारत सरकार के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया जाता है। नल जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का जिला-वार विवरण राज्य स्तर पर रखा जाता है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए डेटा के अनुसार, जेजेएम के तहत अब तक वित्तीय अनियमितताओं और खराब गुणवत्ता वाले कार्यों के मामलों में 969 कार्यान्वयन एजेंसियों/ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

*****